

शंकर v/s बालू

वाद सं. 184/17


पत्रावली सेवा हुई। वादी- वादी आधिकारिकता
अनुपस्थित। वादी- वादी आधिकारिकता की नियमानुसार
तीन बार आवाजें लगवाई गईं। वादी- वादी आधि-
उपस्थित नहीं। वादी- वादी आधिकारिकता की पुनः
प्राप्ति में एक बार और आवाज लगवाई गई।
कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5.50 PM हो
चुका है। वादी- वादी आधिकारिकता के उपस्थित नहीं
होने से वादी द्वारा शजदमान काबूलकारी आधिकारिकता
1955 की धारा 188 में उल्लिखित वाद अदम्य हाजिरी-
अदम्य पैकी में खारिज किया जा रहा है। पत्रावली
में फैसला से इत्लाफ सुनाया गया। पत्रावली
में फैसला सुमार लेकर कार्रवाई दफ्तर ही तथा
नम्बर में कम है।

12/12/22

अतिरिक्त कलकत्ता
सिलेसिया

12/11/2024

पत्रावली पैरा 56) वादी- वादी अधिकारता अनुपस्थित। वादी- वादी अधिकारता की नियमावली तीन बार आवाजें लगवाई गई। वादी- वादी अधिकारता नहीं। वादी- वादी अधिकारता को पुनः 0-याफाईट में एक बार और आवाज लगवाई गई। कोई उपास्थित नहीं आया। समय 5.50 PM हो चुका है। वादी- वादी अधिकारता के उपास्थित नहीं होने से वादी द्वारा शकलमान काश्तकारी अधिकार 1955 की धारा 188 में उल्लूत वाद अदम हाजरी अदम पैली में खारिज किया जाया है। पत्रावली में फैसला से इतला सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार लेकर वाकील दाखल हो गया नम्बर में कम है।


12/12/24

सहायक कलक्टर
बीचकड़ा